भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 504

जिसका उत्तर 23 जुलाई, 2025 को दिया जाना है

कोयला उत्पादन

504. श्री राधेश्याम राठियाः
श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावाः
श्री सुखजिंदर सिंह रंधावाः
श्री प्रवीण पटेलः
श्री शंकर लालवानीः
श्री महेश कश्यपः
श्री अशोक कुमार रावतः
श्री बिभु प्रसाद तराईः
डॉ. राजेश मिश्राः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वित्त वर्ष 2024-25 सहित विगत तीन वर्षों के दौरान देश में, विशेषकर छत्तीसगढ़ में कोयले की कुल कितनी मात्रा उत्पादित हुई है और गत वित्त वर्ष की तुलना में यह कितनी थी;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान आयातित कोयले की कुल मात्रा कितनी है;

(ग) सरकार द्वारा कोयला आयात पर निर्भरता कम करने के लिए की गई/की जाने वाली पहलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में प्रचालनरत नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) में कोयले के उत्पादन में वृद्धि हुई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में प्रचालनरत साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) में कोयले के उत्पादन में वृद्धि हुई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : पिछले तीन वर्षों के दौरान देश और छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष-वार कोयला उत्पादन निम्नानुसार है:

(आंकड़े मिलियन टन में)

वर्ष	**अखिल भारत उत्पादन**	**छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पादन**
2022-23	893.191	184.895
2023-24	997.826	207.255
2024-25 (अनंतिम)	1047.50	204.960

(ख) : पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित कोयले की कुल मात्रा निम्नानुसार है:

(आंकड़े मिलियन टन में)

वर्ष	**कुल**
2022-23	237.668
2023-24	264.531
2024-25 (अनंतिम)	243.622

(ग) : कोयला आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलें निम्नानुसार हैं:

i. उन मामलों में, जहां एसीक्यू को मानक आवश्यकता (गैर-तटीय विद्युत संयंत्र) के 90% तक घटा दिया गया था अथवा जहां एसीक्यू को मानक आवश्यकता (तटीय विद्युत संयंत्र) के 70% तक घटा दिया गया था, वहां वार्षिक अनुबंधित मात्रा (एसीक्यू) को मानक आवश्यकता के 100% तक बढ़ा दिया गया है। एसीक्यू में वृद्धि के परिणामस्वरूप घरेलू कोयले की आपूर्ति में और अधिक वृद्धि होगी, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी।

ii. वर्ष 2020 में शुरू की गई गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) लिंकेज नीलामी नीति में संशोधन के माध्यम से, एनआरएस लिंकेज नीलामी में कोकिंग कोल लिंकेज की अवधि को 30 वर्ष तक की अवधि के लिए संशोधित किया गया है। एनआरएस लिंकेज नीलामी में कोकिंग कोल लिंकेज की अवधि को 30 वर्ष की अवधि तक बढ़ाने से कोयला आयात प्रतिस्थापन की दिशा में सकारात्मक प्रभाव पड़ने की अपेक्षा है।

iii. सरकार ने वर्ष 2022 में निर्णय लिया है कि विद्युत क्षेत्र के सभी मौजूदा लिंकेज धारकों की पूर्ण विद्युत खरीद करार (पीपीए) आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयला कंपनियों द्वारा ट्रिगर स्तर और एसीक्यू स्तरों पर विचार किए बिना कोयला उपलब्ध कराया जाएगा। विद्युत क्षेत्र के लिंकेज धारकों की पूर्ण पीपीए आवश्यकता को पूरा करने के सरकार के इस निर्णय से आयात पर निर्भरता कम होने की अपेक्षा है।

iv. कोयला आयात प्रतिस्थापन के उद्देश्य से दिनांक 29.05.2020 को कोयला मंत्रालय में एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया था। आईएमसी के निर्देशानुसार कोयला मंत्रालय द्वारा एक आयात डाटा प्रणाली विकसित की गई है ताकि मंत्रालय कोयले के आयात पर नजर रख सके। वस्तुओं के आयात को अभिशासित करने वाली विदेश व्यापार नीति के अनुसार कोयले का बिना किसी प्रतिबंध के मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है। हालांकि, दिसंबर, 2020 से इसे "मुक्त" से संशोधित करके "कोयला आयात निगरानी प्रणाली (सीआईएमएस) पोर्टल में अनिवार्य पंजीकरण के अधीन मुक्त" कर दिया गया है।

v. कोयले की अधिक घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सतत आधार पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रकार, संपूर्ण प्रतिस्थापन योग्य आयातित कोयले की आवश्यकता को देश द्वारा पूरा किए जाने की आशा है और कोयले के अति आवश्यक आयात के अलावा कोई अन्य आयात नहीं किया जाना चाहिए। कोयला आयात प्रतिस्थापन पर एक कार्यनीति पत्र जारी किया गया है।

vi. एनआरएस लिंकेज नीलामियों के तहत मार्च, 2024 में एक नया उप-क्षेत्र 'डब्ल्यूडीओ मार्ग के माध्यम से कोकिंग कोयले का उपयोग करने वाला इस्पात' सृजित किया गया है, जिससे घरेलू कोकिंग कोयले की खपत में वृद्धि होगी और देश में वाश्ड कोकिंग कोयले की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे कोकिंग कोयले के आयात में कमी आएगी।

vii. कोकिंग कोल मिशन की शुरुआत इस्पात क्षेत्र को कोकिंग कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए की गई है ताकि कोकिंग कोयले के आयात को कम किया जा सके। कोकिंग कोयले के उत्पादन बढ़ाने के लिए पहलें की गई हैं।

viii. आयातित कोयला आधारित (आईसीबी) संयंत्रों को संशोधित शक्ति नीति, 2025 के तहत कोयला प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। इस नीति के अंतर्गत आईसीबी संयंत्रों के लिए कोयले की उपलब्धता से आयातित कोयले पर इन आईसीबी संयंत्रों की निर्भरता कम होने की उम्मीद है।

ix. मौजूदा ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए) धारकों को मौजूदा एफएसए के तहत एसीक्यू कोयले की 100% खरीद के बाद संशोधित शक्ति नीति, 2025 के अंतर्गत कोयला प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। मौजूदा एफएसए धारकों को एसीक्यू से अधिक कोयले की

उपलब्धता से विद्युत संयंत्रों की संपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए विद्युत उत्पादकों को लाभ होगा।

(घ) और (ड.) : पिछले तीन वर्षों के दौरान नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) (गारे पाल्मा-IV/2 एवं 3 सहित) में वर्ष-वार कोयला उत्पादन निम्नानुसार हुआ है:

(आंकड़े मिलियन टन में)

वर्ष	**एनसीएल**	**एसईसीएल (गारे पाल्मा-IV/2 एवं 3 सहित)**
2022-23	131.169	167.006
2023-24	136.148	187.536
2024-25 (अनंतिम)	139.00	167.487

****